

[Shri S. Mohan Kumaramangalam]

which is in Andhra Pradesh. To go from Khetri to all those places is not easy, it is not easy to coordinate the work from a place which has not got such good communication facilities such as telex etc. as you have in a place like Calcutta. And the copper market in our country is also mainly in Calcutta. And, therefore, we felt that it was better to co-ordinate the work of copper development from Calcutta than from Khetri. But this will not harm copper development of Khetri in the least. We are not going to stop the development of copper in Khetri by removing the headquarters to Calcutta. This will not mean that a single officer or a single member of the staff in Khetri will be compelled to shift to Calcutta. This will not mean that there will be any less employment in Khetri because the headquarters is a very small headquarters which we have got; it is a co-ordinating headquarters, not an operating headquarters. So what is the harm that has been done to Khetri? Are we not citizens of one country? Let the day come let it come quickly when I will find a person from Rajasthan pleading for Calcutta and a person from Calcutta pleading for Rajasthan. That would lead, with all respect to all hon'ble Members in this House, to a decisive improve in our outlook on our country. We are Indians and looking at it from the point of view...

(Interruption by Shri Lokanath Misra)
Orissa is not in the picture.

1 P.M.

SHRI LOKANATH MISRA: Charity must begin at home. You must show that example yourself.

SHRI S. MOHAN KUMARAMANGALAM: I do not know when I have not, frankly. I have done my best to try and look at our country as our country, a country to which you and I have the honour and privilege to belong as its citizens. That I would like Mr. Mathur to understand is this is not going to affect copper development in Khetri. It is not going to affect Rajasthan in any way that is harmful to Rajasthan, it is going to help us to develop copper better in the country as a whole.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Madam, may we have a recess because after that we are going to joint Committees?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): We agree to have a recess for half an hour.

SHRI PITAMBER DAS (Uttar Pradesh): There is no pressure of work...

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): We have so many Bills. We have the I.C.S. Bill...

SHRI NAWAL KISHORE (Uttar Pradesh): We would finish the job today even after the lunch recess.

SHRI PITAMBER DAS: So that even if we adjourn for one hour we will have two hours for that Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): I think we can finish the Legislative Business. We meet at 2 O'clock.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU) in the Chair.

REFERENCE TO ALLEGED HUMAN SACRIFICE IN MAHARASHTRA

कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापडें (महाराष्ट्र):

मिस्टर वाइस चेयरमैन, मैं महाराष्ट्र स्टेट की एक घटना के बारे में आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगी। महाराष्ट्र स्टेट की उप-राजधानी नागपुर शहर से केवल 25 किलोमीटर के अंतर पर सांवनेर नाम की एक तहसील है और उस सांवनेर नाम की तहसील में इरनगांव नाम का एक छोटा सा ग्राम है जिस ग्राम में तारीख 11 अगस्त को एक नव-बौद्ध 24 साल का नौजवान लड़का जिसकी सवर्ण हिन्दुओं की अंध-श्रद्धा के कारण नर-बलि चढ़ाया गई है। उसके बारे में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। संक्षेप में मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगी। उस ग्राम में करीब-करीब 75 या 80 घर होंगे जिन में 20 या 25 घर शेड्यूल्ड कास्ट वालों के हैं जो कि नव-बौद्ध कहलाते हैं। उस गांव में कुनवियों की संख्या अधिक परिमाण में है। उसी गांव के रहने वाले रामदास मारुती नारनौरे नाम का 24 वर्ष का लड़का—किसी के लेने न देने में, जिसका काम अपना कमाना, अपनी खेती करना, अपना खाना

और मौज में रहना, और उसकी गांव में किसी से कोई दुश्मनी नहीं—उमको एक मोरवा नाम का एक कुनबी जिसके आंग में अधोरी नाम का एक देवता होता है वहीं शायद आया और उसने कहा कि इस इरनगाव में दो—चार दिन से जो हैजा फैला हुआ है, जो कालरा फैला हुआ है, उस कालरा में एक महिला और एक पुरुष की जो मृत्यु हुई है इसका सही कारण यह है कि इस गांव में राम दास मारुती नारनौर तथा शामराव चापले ये दो व्यक्तित्व जादू करने वाले हैं और उन लोगों ने सारे गांव की सीमाएं जादू से बांधी हुई हैं। और उन्हीं के कारण यहां पर यह दो लोगों की मृत्यु हुई। उम देवता ने यह कहा कि बगैर शामराव और रामदास के नरबलि चढ़ाये यह गांव हैजे से मुक्त नहीं हो सकता है और उनकी नरबलि चढ़ाना बहुत आवश्यक है। शामराव दो दिन पहले गांव छोड़कर चला गया था। एक दिन शाम के समय 8 अगस्त को—गांव के देहाती जीवन के बारे में आप सब लोगों को मालूम ही है—हनुमान मंदिर के आसपास जहां बौद्ध लोग शामिल हुए, वहां पर मेजरिस्ट्री लोग भी शामिल हुए। मारुती के बदन में देवता फिर आया और उसने कहा कि अगर तुम इन दो आदमियों को नरबलि नहीं चढ़ाते हो तो आपका गांव आठ दिन के बाद बिल्कुल तबाह हो जायेगा, और एक भी आदमी जीवित नहीं बचेगा, इसलिये नरबलि चढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें पांच बकरों की बलि देनी होगी। लेकिन रामदास का बाप मारुती जो एक सीधा सादा आदमी था और कबीरपंथी था, ये लोग कभी भी मांस को छूते नहीं हैं, उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, 200, 300 रुपये हैं, इन रुपयों में चाहे तुम मुर्गी लाओ या बकरे लाओ और उन्हें तुम काटो, मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन फिर भी वे लोग नहीं माने।

दूसरे दिन 9 तारीख को, फिर एक सभा हुई उम गांव के पटेल के वहां हुई और फिर यह कहा गया कि अगर नरबलि नहीं चढ़ायी जाती है तो हमारा सारा गांव सूना हो जायेगा और उम गांव

में कोई जिन्दा नहीं रहेगा। इसलिये यह आवश्यक है कि शामराव और रामदास की बलि चढ़ायी जाय। यह बात सारे लोगों ने कही। मारुती जब अपनी बीबी से मिल रहा था तो उसने अपनी बीबी से कहा कि मैं अब दुबारा लौट कर नहीं आऊंगा, मेरी तुम्हारे साथ यह अंतिम मुलाकात है। तुम मेरी अमानत जो तुम्हारे पास चार साल का बच्चा है उसको अच्छी तरह से सम्भालना। इनका कहने के बाद अपने कहा कि तुम मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अपनी बीबी के हाथ से पानी मारुती ने लिया तो इसी बीच घर के पीछे के दरवाजे से बलि चढ़ाने वाले लोग आ गये और उसको गांव के मुखिया के घर ले जाने के बहाने से उठाकर ले गये। वह उसमें कहने लगे कि अगर मुखिया कहता है कि उमकी नरबलि से इस गांव का हैजा खत्म हो जाता है तो उसकी नरबलि चढ़ायी जायेगी। अगर वह यह कहता है कि इसकी नरबलि नहीं चढ़ायी जायेगी तो उसको छोड़ दिया जायेगा। यह कह कर वे लोग उसको जबरदस्ती ले गये और गांव के कुएं के पास उसके दो हाथ, दो पैर बांधे और कान तथा नाक को काट कर उमको कुएं के अन्दर धकेल दिया।

यह घटना 11 तारीख की रात को हुई। जब वह 11 तारीख की रात को अपने घर नहीं पहुंचा, तो उसका बाप बहुत घबराया कि मेरा बेटा कहीं नहीं आया। क्या उसकी बलि तो नहीं चढ़ा दी गई है। इस बात को सोचकर वह बहुत परेशान हुआ, बेचैन हुआ। 11 तारीख की रात को उसको स्वप्न हुआ कि उसके लडके का खून कर दिया गया है। बाप इस तरह का स्वप्न देखकर घबराहट से उठा, लेकिन उसने यह बात किसी से नहीं कही। 11 अगस्त को जिस दिन यः घटना हुई उसके दो दिन तक यानी 12, 13 तारीख तक, यह वान गांव में फैल गई कि उसका लडका घर वापस नहीं पहुंचा है। 13 तारीख के दिन उमका भाई उम गांव से पास हो रहा था, तो रास्ते में कुएं में उमने झांका कि कहीं मेरा भाई तो यहां पर मारा हुआ नहीं है। जब उसने कुएं

[कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापड़ें]

के अन्दर देखा तो उसने अपने भाई की लाश को देखा, हाथ पैर बंधे देखे, कमर उल्टी थी और कपड़ों से वह अपने भाई को पहिचान गया।

13 अगस्त को सावनेर पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दी जाती है। वहाँ पुलिस इस्पेक्टर मिस्टर काले थे, वे कहते हैं कि मैं तुम्हारी यह रिपोर्ट नहीं ले सकता, यह गलत रिपोर्ट है, रिपोर्ट नहीं ली गई। 14 अगस्त की शाम को पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। घरवालों ने माग की कि लाश निकालिये। पुलिस वालों ने कहा...

उपसभाध्यक्ष (श्री वी०बो० राजू): आप बहुत डिटेल्स में जा रही हैं, जल्दी समाप्त करिये।

कुमारी सरोज पुरुषोत्तम खापड़ें: पुलिस वालों ने कहा कि शाम का समय है अभी निकाल नहीं सकते। यह कह कर वह बौड़ी निकाली नहीं गई।

15 अगस्त को सुबह वह लाश निकाली जाती है और पचनामा यह होता है कि उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन यह घटना प्रिन्सलाड थी और उसका मर्डर हुआ।

महाराष्ट्र की जनता, विशेषतः हरिजन जनता, बौद्ध जनता महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय पर भरोसा नहीं करती इसलिये मैं सरकार से यह कहूँगी कि इसकी अदालती जांच करवाई जाय। इतना ही नहीं आप दोनों सदनों के मेम्बरों को स्पॉट पर स्टडी करने के लिये कहिए कि क्या फैक्ट्स एंड फिगरर्स हैं। यही मेरी माग है। वह लाश आज तक, अभी तक नागपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की लेबोरेटरी में पड़ी हुई है। इसमें जरा भी असत्य नहीं है।

REFERENCE TO CASTING ASPERSION
ON PUBLIC UNDERTAKINGS COMMITTEE
OF PARLIAMENT BY AN I.C.S.
OFFICER

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal)
There is a matter which concerns the privilege of the House. It is not a privilege motion that I want to bring. Today is the last day and I think I will be failing in my duty if I do not bring it to your knowledge. The House will adjourn today for two months and unfortunately there is no

remedy for us. For want of time I cannot bring in a motion. This does not involve me personally. But it concerns the House because the Public Undertakings Committee has been very badly commented upon by Shri P. R. Nayak, a former I.C.S. officer in a letter to Shri Khera who has filed an affidavit with the Takru Inquiry Commission in which Shri Nayak has cast reflection on the Public Undertakings Committee. He says that certain persons had joined together to induce the Parliamentary Committee on Public Undertakings to write a report in April 1970 questioning the decisions and *bona fides* of Government, the Indian Refineries Ltd., and in the name of myself as Managing Director/Chairman of the Indian Refineries Ltd. from December 1960 to August 1964. Following this report Government appointed a Commission of Inquiry in August, 1970. This is from the letter which Shri Khera has filed before the Takru Inquiry Commission and there Shri Khera has quoted from Shri Nayak's letter dated 27th February, 1971. All that I want to ask is this. Is it permissible for a former I.C.S. Officer to write in a letter to another I.C.S. Officer that the Public Undertakings Committee has been induced by some gentlemen against me, etc. Shri Khera was the Cabinet Secretary. He quotes from a letter of Shri Nayak and files it before the Inquiry Commission headed by Justice Takru. This is in Shri Khera's own affidavit. On this basis I am saying this. I will only request you to kindly instruct your officer to collect all the materials. I have got the full text of the affidavit. This is taken up in the other House and this should not be allowed to go without being looked into by the two Houses of Parliament. If civil servants start casting reflection in this manner on Parliamentary Committees accusing them of having been induced by some people from outside, then I do not know how we are going to function here.

Mr. Nayak has abused his authority and so also Mr. Khera.

THE VICE CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Yes it has been taken note of. Let us now take up the Former Secretary of State Service Officers (Conditions of Service) Bill, 1972.

THE FORMER SECRETARY OF STATE
SERVICE OFFICERS (CONDITIONS OF
SERVICE) BILL, 1972

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI
K. C. PANT): Sir, I beg to move

"That the Bill to provide for the variation or revocation of the conditions of service of former Secretary of State